

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर
पीठासीन अधिकारी श्री वीरमा राम (आर.ए.एस.) प्राथमिक डिक्री
अनवान

वादीनी
1. चिमूदेवी पत्नी
केसराराम जाति जाट
निवासी बलदेव नगर
तहसील व जिला
बाडमेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1 कालूराम पुत्र फौजाराम जाति माली निवासी बाडमेर
मगरा 2 गंगाराम पुत्र विरधाराम 3 डालूराम पुत्र
मुकनाराम जाति जाट निवासी ईशरोल तहसील चौहटन
4 देवी चौधरी पत्नी वायूसिंह जाति जाट निवासी
नगाणी धतरवालों की ढाणी तहसील वायतु 5 पारूदेवी
पत्नी लाधूराम जाति जाट निवासी चाडी तहसील
रामसर 6 बालसिंह पुत्र जेतमालसिंह जाति राजपूत
निवासी बाडमेर आगोर तहसील बाडमेर 7 महावीरसिंह
पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी सरदारपुरा बाडमेर
तहसील बाडमेर 8 मालाराम पुत्र खेताराम जाति जाट
निवासी पाबूसर कोलू तहसील बायतु 9 रूखमोदेवी
पत्नी बांकाराम जाति जाट निवासी मूढों की ढाणी
तहसील बाडमेर 10 रूपोदेवी पत्नी बागसिंह निवासी
बायतु भोपजी तहसील बायतु 11 अणदाराम पुत्र
कालूराम जाति जाट निवासी गांधी नगर तहसील
बाडमेर 12 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।

दावा बाबत 53 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 327/2024

निर्णय दिनांक :- 16/06/25

वकील वादीनी व वकील प्रतिवादी संख्या-.... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16/06/25 को श्री वीरमा राम, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री निम्न प्रकार दी जाती है कि:-

वादीगण का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर मगरा पटवार हल्का बाडमेर मगरा तहसील बाडमेर ग्रामीण के खेत खसरा नम्बर 2458/353 रकबा 2.9137 हैक्टेयर भूमि में वादीनी का 1/18 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड नियम 18 से 21 की पालना करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित होकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के नवीनतम निर्देशों की पालना करते हुए पक्षकारान के कब्जा काशत अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान एवं मौत बिरान की उपस्थिति में विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर एक माह में उपलब्ध करवाये। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। प्राथमिक डिक्री जारी हो। कमीशनर शुल्क रू. 1500/- निर्धारित की जाती है जो वादी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। यह प्राथमिक डिक्री आज तारीख 16/06/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(वीरमा राम)

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर
(एस.एस.) बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शयित पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शयित पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमीशनर की फीस			
7 आदेशिका की तामिल			